# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 06 / 2025

दायर दिनांकः 05.05.2025

निर्णय दिनांक 06.04.2026

–:अनवानः–

राज्य सरकार जरिये, लोकेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द

—— प्रार्थी

**बनाम**

दीपक कुमार पुत्र श्री सोहन लाल निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

—— अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस एवं रिफलिंग मशीन को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

**उपस्थितः–**

1– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2– अप्रार्थी अनुपस्थित।

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.04.2025 को हमराह श्री राकेश माहेश्वरी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के दुरूपयोग को रोकने हेतु संचालित अभियान के दौरान श्री दीपक कुमार पुत्र श्री सोहन लाल द्वारा संचालित फर्म मै0 भैरूनाथ सर्विस सेन्टर, चारभुजा मन्दिर के पास, गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला जिसमन्द का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें 4 सिलेण्डर भरे हुए एवं 5 सिलेण्डर खाली पाये। साथ ही एक इलेक्ट्रीक रिफलिंग मशीन मय एक काले रंग की रबर ट्यूय वाहन को जोडने वाले रेगुलेटर के साथ एवं एक लाल रंग की रबर ट्यूब घरेलू गैस सिलेण्डर से जोडने वाले रेगुलेटर के साथ पाई गई। इस कम में मौके पर उपस्थित श्री दीपक कुमार पुत्र श्री सोहन लाल से पूछताछ करने पर उक्त के संबंध में कोई वैध अनुज्ञा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्र एवं खरीद, भण्डारण, विक्रय, के संबंध में कोई भी दस्तावेज होने से स्पष्ट मना किया गया। प्रथम दृष्टयां आप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किग्रा गैस एवं एक इलेक्ट्रीक रिफलिंग मशीन मय 1 काले रंग एवं लाल रंग की कुल 2 रबर ट्यूब मय रेगुलेटर जब्त की जाकर श्री घनश्याम गाडरी पत्र श्री बदरीलाल निवासी रेलगमरा प्रतिनिधि मै0 श्री विनायक इंडेन गैस एजेन्सी, रेलमगरा जिला राजसमन्द को ठीक तरीके से सुपुर्द किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

मौके पर जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमें संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र.सं. | गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या | तेल कम्पनी का नाम | सिलेण्डर का प्रकार | भरे हुए सिलेण्डर का वजन | खाली सिलेण्डर का वजन | शुद वजन (किलोग्राम में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940377E | IOCL | Dom. | 30.0 | 15.8 | 14.2 |
| 2 | 144080S | IOCL | Dom. | 30.0 | 15.8 | 14.2 |
| 3 | 32602 | IOCL | Dom. | 29.9 | 15.7 | 14.2 |
| 4 | 768637T | IOCL | Dom. | 30.0 | 15.8 | 14.2 |
| 5 | 705795S | BPCL | Dom. | 15.9 | 15.9 | 0 |
| 6 | 814947T | BPCL | Dom. | 16.1 | 16.1 | 0 |
| 7 | स्पष्ट नही D29 | BPCL | Dom. | 15.4 | 15.4 | 0 |
| 8 | 038994S | BPCL | Dom. | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 9 | 211639T | BPCL | Dom. | 16.0 | 16.0 | 0 |
| योग | | | | 198.9 | 142.1 | 56.8 |

श्री दीपक कुमार द्वारा संचालित फर्म मै0 भेरूनाथ सर्विस सेन्टर, चारभुजा मन्दिर के पास, गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया, जो कि दी निक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्त सुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलो गैस एवं एक इलेक्ट्रीक रिफलिंग मशीन मय 2 रबड ट्यूब को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

राजकिय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्त शुदा उक्त 09 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर उसके स्वयं के है, जिनका व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्त शुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मैंने राजकिय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अप्राथी को नोटिस दिए जाने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। न ही उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में घरेलू गैस के नौ सिलेंडर, इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन, रबर टयूब और रेगुलेटर आदि जप्त किये गये है। जो स्पष्ट रूप से यह जाहिर करते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यवसायिक और अवैधानिक रूप से किया जा रहा था। जिससे यह प्रकरण अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा जप्त किए गए सभी सिलेंडर व सामग्री राजसात (confiscate) किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

**:आदेश::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस व समस्त सामग्री को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस व समस्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

**निर्णय आज दिनांकः 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद